

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या) ()डीएलबी/16/5077-5334

दिनांक: 2/9/16

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।
3. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/
अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका, राज.।

विषय:- प्रकरण संख्या 31/16 हमर संगवारी (एनजीओ) बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण संख्या 31/16 हमर संगवारी (एनजीओ) बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व अन्य में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा दिनांक 18.07.16 को निम्न आदेश पारित किया है:-

Today none has appeared on behalf of the Applicant. Learned Counsel for the State of Chhattisgarh as well as CECB are present. They have submitted their replies. It is submitted that with a view to make compliance stakeholders engaged in the business of making pop idols have been informed and directions were issued to them that making of pop idols on ensuing festivals (Ganesh Chaturthi & Durga pooja) will not be permitted. We have taken note of the above submission and we would direct that the matter may be listed after the festival of Ganesh Chaturthi. Respective District Collectors would submit on that date their report and also photographs indicating the position post the immersion date.

At the same time, we would also suggest that clay idols should be promoted in accordance with the guidelines issued by CPCB. The Administration should take measures to ensure the size of the idols are the not above those prescribed by the CPCB.

The persons engaged in the business of making pop idols can be instructed to utilise the clay for making clay idols and the said idols can used in place of pop idols, as they are environmental friendly.

Put on 26th September, 2016.

A copy of this order shall be sent by the Registry to the Chief Secretaries of State of MP, Chhattisgarh & Rajasthan for taking similar steps,

अतः मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.16 की पालना के क्रम में पीओपी की मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी मूर्तियों के विसर्जन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करे साथ ही जो मूर्तियों बनाने के कार्य में लगे हैं उन्हें भी निर्देशित करे कि पीओपी के स्थान पर मिट्टी की मूर्तियाँ CPCB द्वारा निर्धारित साईज के अन्तर्गत निर्माण किया जावे तथा प्रकरण में नियत दिनांक 26.09.16 से पूर्व की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराने का श्रम करावे तथा इस विभाग को भी अवगत कराया जावे।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या) ()डीएलबी/16/5335-5343 दिनांक: 2/9/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग राज. जयपुर को अ0शा0 टीप क्रमांक प.12(33)पर्या./16 दिनांक 22.08.16 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर।
3. सुरक्षित पत्रावली।

2 (अ) नोडल अधिकारी कांशुदेव निदेशा-1 94 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी